

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा- 4(i) (बी) के संदर्भ में सूचना (12.08.2025 को अद्यतन किया गया)

सद	विवरण	स्थिति
4(b) (i)	विभाग के गठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	नीचे पृष्ठ 2 & 3 (चार्टर), पृष्ठ 4 (संगठन चार्ट)
4(b) (ii)	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	पृष्ठ 5
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के तरीकों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;	कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न संहिताओं/मैनुअलों में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड	सामान्य प्रक्रियात्मक निर्देश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं। https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (v)	विभाग द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण के अधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख	https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (vi)	विभाग द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण के अधीन मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (vii)	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए बनाई गई किसी भी व्यवस्था का विवरण	
4(b) (viii)	बोर्ड, परिषद, समिति और दो या दो से अधिक सदस्यों से बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं तथा क्या उन बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	लागू नहीं सौंपा गया कार्य संहिता में निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाता है।
4(b) (ix)	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;	पृष्ठ 6
4(b) (x)	विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान।	पृष्ठ 7 --7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकारियों का पे लेवल
4(b) (xi)	विभाग से संबंधित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट दर्शाई गई हो।	लागू नहीं - वेतन और अन्य कार्य-व्यय भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन लेखा विभाग के कार्यों/कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है।
4(b) (xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का व्यौरा शामिल है;	लागू नहीं - कोई सहायक कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता है।
4(b) (xiii)	विभाग द्वारा मंजूर रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकार के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	लागू नहीं- कोई रियायत, परमिट या प्राधिकार देना संगठन के कार्यों/कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है।
4(b) (xiv)	इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त की गई विभाग में उपलब्ध अथवा रखी गई सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण	कोड और मैनुअल भारतीय रेलवे की वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377 पर उपलब्ध हैं।
4(b) (xv)	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं, तो उनका कार्य समय भी शामिल है।	लागू नहीं - लेखा विभाग द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं चलाया जाता है।
4(b) (xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	पृष्ठ 8
4(b) (xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं, जो निर्धारित की जाएं और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाए।	निविदाएं, प्रेस संबंधी, महत्वपूर्ण समाचार आदि से संबंधित जानकारी भी https://wr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

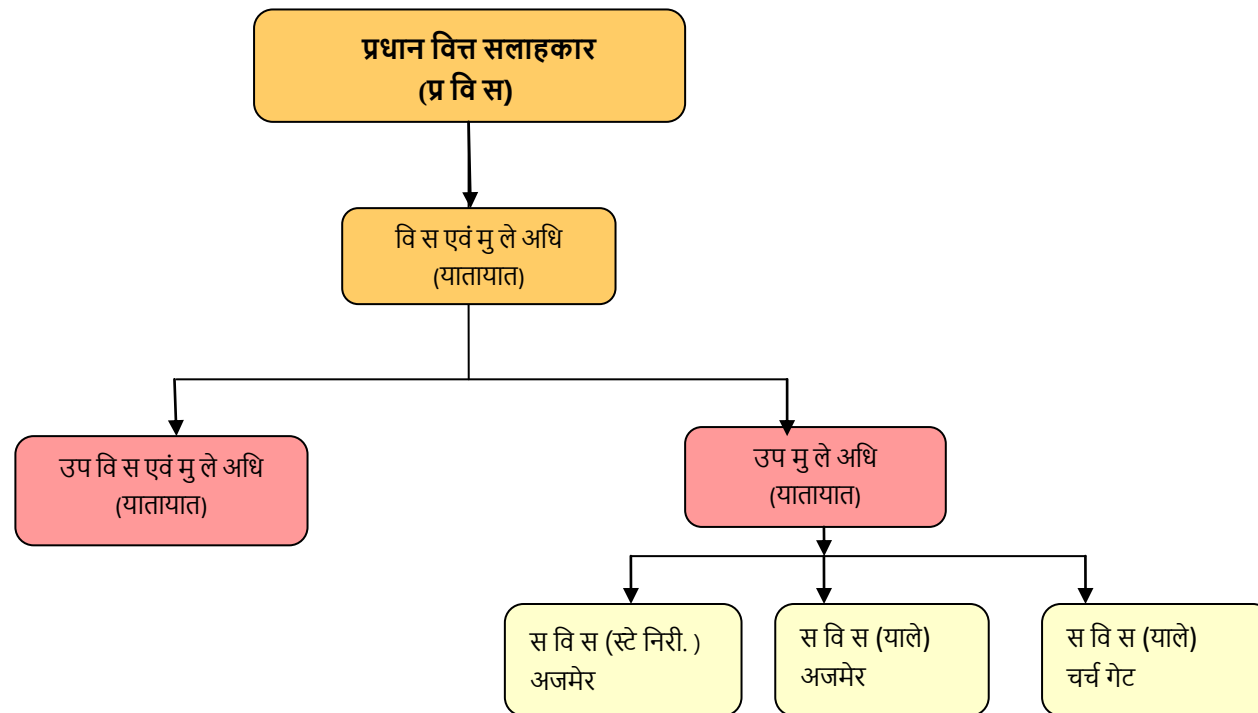
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय के कामकाज के लिए चार्टर (10.3.2.55 से लिया गया लेखा विभाग का चार्टर)

क्र.सं.	मद	सामान्य समय*	अधिकतम समय*	टिप्पणी
	एडीएम			
1	सांसद/विधानसभा सदस्य/सीए-iii संदर्भ	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समय अनुसूची के अनुसार		
2	अभ्यावेदन/शिकायतें	05 दिन	20 दिन	
	पेंशन			
3	पीपीओ जारी करना - सामान्य मामले	उसी महीने		
4	पीपीओ जारी करना - ओएनआर मामले	सामान्य मामलों के साथ अगले महीने		
5	पीपीओ का संशोधन	07 दिन	15 दिन	
6	पीपीओ का प्रतिहस्ताक्षर	03दिन	07 दिन	
7	जमा राशि जारी करना	03दिन	07 दिन	
	पीएफ			
8	पीएफ निकासी आवेदन	03दिन	05दिन	
9	पीएफ खाते का स्थानांतरण (एलपीसी प्राप्त होने के बाद)	15दिन	30दिन	
10	एनपीएस अपलोडिंग	03दिन	07 दिन	
	ईएक्सपी			
11	टीसी का स्थानांतरण	05दिन	07दिन	
12	बिल	03दिन	07 दिन	
	ईजी/ईएनजी			
13	स्थापना प्रस्ताव	03दिन	15दिन	
14	वेतन बिल	02दिन	05दिन	
15	वेतन बिल के अलावा	03दिन	07दिन	
16	देय और आहरित विवरण	03दिन	07दिन	
17	स्थानांतरण दस्तावेज़	20दिन	30दिन	
	वित्त			
18	वित्तीय प्रस्ताव	05 दिन	10 दिन	
19	संक्षिप्त नोट की जाँच	05 दिन	10 दिन	
20	निविदा	07 दिन	15 दिन	
21	परिवर्तन मामले	15 दिन	20 दिन	
22	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	05 दिन	15 दिन	
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले	05दिन	07दिन	
24	पीडब्ल्यूपी/विधि पुस्तक प्रस्ताव	05दिन	07दिन	
25	पदों का सृजन/स्थानांतरण	03दिन	07 दिन	
26	प्रारूप पैरा की जाँच	05 दिन	10 दिन	
27	विविध स्थापना प्रस्ताव	03 दिन	05 दिन	
	खानपान			
28	खानपान संविदा प्रस्ताव	05 दिन	07दिन	
29	बिल पास करना	03 दिन	05दिन	
30	एसडी/ईएमडी जारी करना	03 दिन	05दिन	
	वित्तीय दावे			
31	मुआवज़ा दावा (आरसीटी)	03 दिन	05दिन	
32	कोचिंग का रिफंड	03 दिन	05दिन	
33	अपने वैगन बिलों का स्वामित्व	03 दिन	05दिन	
34	वाणिज्य प्रस्ताव	05 दिन	08 दिन	
	भंडार			
35	वित्तीय प्रस्ताव	03 दिन	10 दिन	
36	मात्रा जाँच	05 दिन	10 दिन	
37	निविदा	07 दिन	15 दिन	
38	निविदा सार जाँच	03 दिन	05 दिन	

39	संक्षिप्त नोट जाँच	03 दिन	05 दिन	
40	ईंधन बिलों को पास करना	03 दिन	07 दिन	
41	अग्रिम बिल	03 दिन	05 दिन	
42	आरओ बिल	05 दिन	07 दिन	
43	टीसी तैयार करना	04 दिन	06 दिन	
44	फंड/एक्स्ट्रेक्ट रजिस्टर का रखरखाव	05 दिन	06 दिन	
45	आपूर्ति आदेश की जाँच	03 दिन	05 दिन	

* शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़

ट्रैफ़िक खातों का संगठन चार्ट



उ प्र श्रे व प्र श्रे क प्र श्रे व वे अधि क वे अधि

लेखा विभाग के एसएजी अधिकारियों की ज्यूटी सूची – OPEN LINE

उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेख अधिकारी (सी एम आर)		
1	यातायात लागत एवं रोकड़ एवं भुगतान	
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेख अधिकारी (यातायात लेखा) चर्चगेट		
1	सहायक वित्त सलाहकार (याले) चर्चगेट	प्रशासन, माल, चालू खाता, यातायात लेख चर्चगेट एवं इतर यातायात दिल्ली किशनगंज की यातायात बही एवं स. वि. स. (स्टे. निरी.) की अनुपस्थिति में स्टेशन निरीक्षण शाखा का कार्य
2	सहायक वित्त सलाहकार (याले) अजमेर	यातायात लेख कार्यालय अजमेर का प्रशासन अनुभाग, बही एवं बजट अनुभाग, भविष्य निधि, पार्सल व्हे बिल की जांच, सिबन्दी अनुभाग, रियायत यात्रा टिकट एवं वाउचर की जांच एवं एफटीआर की जांच
3	सहायक वित्त सलाहकार (स्टेशन निरीक्षण) अजमेर	स्टेशन निरीक्षण शाखा, ई एफ टी / टी टी ई विवरणियों की जांच, प्राप्ति, डिसपेच अनुभाग एवं विविध कार्य

अधिकारियों के संपर्क विवरण की सूची

<u>खुली लाइन</u>			
<u>क्रम संख्या</u>	<u>पद का नाम</u>	<u>कार्या लय</u>	<u>टेलीफोन नंबर</u>
1	वि स एवं मु ले अधि (यातायात)	22806	67622806
2	उप वि स एवं मु ले अधि (या ले)	44150	0145-2420043
3	उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेख अधिकारी (सी एम आर)	23532	67623532
4	सहायक वित्त सलाहकार (याले) चर्चगेट	22418	67622418
5	सहायक वित्त सलाहकार (याले) अजमेर	44152	9799494732
6	सहायक वित्त सलाहकार (स्टेशन निरीक्षण) अजमेर	44154	9799494735

7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकारियों का वेतन स्तर		
क्रम संख्या	पद का नाम	स्तर
1	वि स एवं मु ले अधि (यातायात)	15
2	उप वि स एवं मु ले अधि (या ले)	12
3	उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेख अधिकारी (सी एम आर)	12
4	सहायक वित्त सलाहकार (याले) चर्चगेट	10
5	सहायक वित्त सलाहकार (याले) अजमेर	9
6	सहायक वित्त सलाहकार (स्टेशन निरीक्षण) अजमेर	9

File No.WR-HQRS/84/2024-TAAI

Western Railway

Traffic Accounts Office

Ajmer.

Dated: 07.08.2025.

No.TA/All/ADM/4286/E-71/359/Vol.XIII

To, **Secy.(P.G)&CPIO,**
H.Q.-WesternRailway,
CCG – MUMBAI.

Sub: Updation of details of RTI Personnel's of WR Website
Ref: Your letter No.G542/1/2015/Website dated 7.10.2015

With reference to above,the required information in prescribed proforma of this office is as under (as on 15.05.2025):-

यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, अजमेर				
	अपीलीय अधिकारी	केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी	आर टी आई से संबंधित मामलों को संभालने वाले कर्मचारी
नाम	श्री. अजीत कुमार रघुवंशी	श्रीमती मानसी सिंह	श्री कालू राम उदय	श्री पुरुषोत्तम नातू
लिंग	पुरुष	महिला	पुरुष	पुरुष
पदनाम	वि. स. एवं मु. ले. अधि. (वित्त और बजट / सामान्य)	उ.मु.ले.अधि. (याले) प रे, अजमेर	सहायक वित्त सलाहकार (याले) अजमेर	व.अ.अ. (प्र) प रे अजमेर
पता	7 वां माला, चर्चगेट, मुंबई	म.रे.प्र.परिसर, माल रोड, अजमेर	म.रे.प्र.परिसर, माल रोड, अजमेर	म.रे.प्र.परिसर, माल रोड, अजमेर
पिनकोड	400020	305001	305001	305001
दूरभाष : रेलवे	090-22402	096-44150	096-44152	096-44172
दूरभाष: भा. स. नि. लि.	022-22016791	0145-2420043	0145-2420043	0145-2420043
मोबाइल	9004490102	9799494731	9799494732	9116639425
ई-मेल	-	dycaot@hotmail.com	dycaot@hotmail.com	dycaot@hotmail.com

Traffic Accounts Office, Western Railway, Ajmer				
	Appellate Authority	CPIO/PIO	APIO	RTI Dealing Staff
Name	Shri Ajeet Kumar Raghuvanshi	Smt. Manasi Singh	Shri Kalu Ram Udai	Shri Purushottam Natu
Gender	Male	FEMALE	Male	Male
Designation	FA&CAO (F&B/ G) &AA	DY.CAO(TA)& PIO Ajmer	AFA-TA-All	Sr.S.O. (A/cs)
Address	7 TH Floor ,CCG-Mumbai	DRM-Campus- Ajmer	DRM-Campus -Ajmer	DRM-Campus- Ajmer
Pincode	400020	305001	305001	305001
Phone: Railway	090-22402	096-44150	096-44152	096-44172
Phone : P&T	022-22016791	0145-2420043	0145-2420043	0145-2420043
Mobile	9004490102	9799494731	9799494732	9116639425
E-mail	-	dycaot@hotmail.com	dycaot@hotmail.com	dycaot@hotmail.com

Digitally Signed by Manasi
DY.CAO (TA &PIO Ajmer)
Date: 08-08-2025 10:11:50
Reason: Approved